

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी-श्री यशार्थ शेखर, आई.ए.एस

दिनांक - 12.03.26

क्रमांक रीडर/2026/3076

प्रार्थीगण  
1 चैनाराम पुत्र मूलाराम  
जाति जाट निवासी  
बांडातालर, छीतर का  
पार तहसील बाटाडू व  
जिला बाडमेर।

बनाम

अप्रार्थीगण

1 अचलाराम पुत्र हीराराम 2.गंगाराम पुत्र हीराराम 3.करनाराम  
पुत्र हेमराज 4.केहरी पत्नी हेमराज 5.नारणाराम पुत्र हेमराज 6.  
हरखाराम पुत्र बालाराम 7.देवाराम पुत्र गुमनाराम 8.नरसिंगाराम  
9.रूपाराम 10.हिमताराम 11.गंगाराम 12.बहादूरसिंह 13.सताराम  
पिसरान पूनमाराम 14.रूपाराम पुत्र मेराजाराम 15.गोरखाराम पुत्र  
पेमाराम 16.गोरधनराम पुत्र नगाराम 17.जुगताराम पुत्र  
विरमाराम 18.देवाराम पुत्र नगाराम 19.पांची पत्नी दुर्गाराम 20.  
मगाराम पुत्र वीरमाराम 21.मूलाराम पुत्र बस्ताराम 22.मोहनलाल  
23.रामाराम पिसरान पेमाराम 24.लुम्भाराम पुत्र दुर्गाराम 25.  
लाभूराम पुत्र विरमाराम 26.बालाराम पुत्र दुर्गाराम 27.गोमाराम  
पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासीयान बांडातालर, छीतर का  
पार तहसील बाटाडू व जिला बाडमेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, करने नेखमबन्दी बाबत  
राजस्व आवेदन संख्या :- 530/2025 दिनांक- 10.03.2026

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बांडातालर पटवार हल्का छीतर का पार तहसील बाटाडू व जिला बाडमेर  
के खसरा संख्या 370 रकबा 9.9183 हैक्टेयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी  
करने हेतु तहसीलदार बाड़मेर को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व  
प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल में खड़ी  
फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के  
मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक  
हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(यशार्थ शेखर)

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर

दिनांक- 12.03.26

क्रमांक :- रीडर/2025/3077-3080

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

1. तहसीलदार बाटाडू पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
2. पटवारी छीतर का पार तहसील बाटाडू को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकॉर्ड  
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
3. प्रार्थी चैनाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी बांडातालर, छीतर का पार तहसील बाटाडू व जिला  
बाडमेर।
4. विप्रार्थीगण अचलाराम पुत्र हीराराम वगैराह जातियान जाट निवासी बांडातालर, छीतर का पार  
तहसील बाटाडू व जिला बाडमेर।

उपखण्ड अधिकारी  
बाड़मेर